178

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1875—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—08—2006 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 109/2005—06/निगरानी

.....

1— रामभरोसी
2— बालकिशन
3— प्रेमनारायण
4— सियाराम उर्फ सियाशरण
5— बृजभूषण, पुत्रगण द्वारका प्रसाद
निवासीगण— ग्वालियर तहसील एवं जिला ग्वालियर
(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामगोपाल
2— हरिप्रसाद, पुत्रगण खेमराज
निवासीगण— ग्राम हडवासी
तहसील जौरा, जिला— मुरैना(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 व 2
श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 3 व 4

.....

आदेश

(आज दिनांक 17-10-16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—08—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील जौरा के ग्राम हड़वासी में स्थित विवादित भूमि खसरा कमांक 250/2037 कुल रकबा 16 बीघा 2 विस्बा, जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी विद्याराम पुत्र भीमसेन तथा अनावेदकगण के पिता खेमराज एवं आवेदकगण के पिता द्वारिका प्रसाद समान भाग के भूमिस्वामी थे। विद्याराम व खेमराज की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित भूमियों पर वारिसान के आधार पर अनावेदकगण तथा आवेदकगण के पिता द्वारिकाप्रसाद के नाम समान भाग 1/2,1/2 भाग पर सरपंच ग्राम पचांयत हड़वासी द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 78 दिनांक 30.05.99 को आदेश पारित कर नामांतरण स्वीकार किया। आवेदकगण द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत हड़वासी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.99 से परिवेदित होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, जो प्रकरण कमांक 53/99–2000/अपील माल पर दर्ज की जाकर सुनवाई प्रारभं की गई। आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 32/2002–0/विविध में पारित आदेश दिनांक 16.09.2002 से प्रकरण आवेदकगण के अनुरोध पर अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायालय में अंतरित की गई। अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने प्रकरण कमांक 03/2003–04/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 18.03.2004 से अपील स्वीकार करते हुये, सरपंच ग्राम पचांयत हड़वासी द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 30.05.99 निरस्त किया जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया, कि वसीयत को आधार मानकर विधिवत जांच कर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2004 से दुखी होकर अनावेदकण द्वारा निगरानी कलेक्टर, जिला–मुरैना को पेश की गई, जो प्रकरण कमांक 29/2003–04/निगरानी माल पर दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 09.09.2004 से निरस्त की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2004 को यथावत रखा गया। परिणामतः अनावेदकण ने न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 109/2005–06/निगरानी पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 31.08.2006 से अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2004 तथा कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2004 विधिसंगत न होने से निरस्त किया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत हड़वासी द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 78 में पारित आदेश दिनांक 30.05.99

वैधसंगत होने से यथावत रखा । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2009 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायोचित आदेश को, जिसे अपर कलेक्टर ने यथावत रखा था, निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । वसीयतनामा, वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभाव में आता है । अपर आयुक्त का यह तर्क कि वर्ष 1983 में वसीयत की गई थी, जो सात वर्ष तक प्रकाश में नहीं लाई गई उचित नहीं है । वसीयतकर्ता की मृत्यु 04.12.95 में होने के पश्चात ही वसीयत प्रभावशील होगी न कि उसके पूर्व। वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के पश्चात आवेदकगण ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया था । प्रकरण में नियुक्त अभिभाषक द्वारा की गई लापरवाही से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वसीयतनामा व्यर्थ हो गया है । प्रकरण के तथ्यों के आधार पर तहसील न्यायालय में प्रकरण पुनः स्थापित करने का आवेदन दिया गया था । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि अपर आयुक्त ने यह विचार नहीं किया कि विद्याराम की मृत्यु दिनांक 04.12.95 को हो जाने के बाद वर्ष 1999 तक नामांतरण की कोई कार्यवाही अनावेदकगण द्वारा नहीं की गई, क्योंकि परिवार में कोई विवाद नहीं था । जबकि आवेदकगण अपने नामांतरण हेतु विधिवत आवेदक दे चुके थे । अपर आयुक्त ने ऐसे आधारों पर विवादित आदेश पारित किया है जो न्यायालयीन प्रक्रिश्स एवं कार्यवाही के लिये अनजाने है । विवादित आदेश में दिये गये कारण अभिलेख पर आधारित नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण करने के पूर्व संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत निर्मित नियमों का भी पालन नहीं किया । उद्घोषणा का नियामनुसार प्रकाशान नहीं कराया, मुनादी नहीं कराई गई और न ही सम्बन्धित पक्षकारों को नामांतरण के पूर्व व्यक्तिशः सूचना दी। ऐसा अवैध आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया । अनावेदक क्र0 3 व 4 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

3/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायालय से प्रकरण का पत्रिका अवलोकन करने पर उसमें संलग्न वसीयतनामा को देखने से स्पष्ट है कि वसीयतनामा में वसीयतकर्ता द्वारा जिन सर्वे क्रमांकों का जिक्र किया गया है, उनमें भिन्नता है। उन सर्वे नम्बरों पर विद्याराम भूमिस्वामी नहीं है । मृतक अभिलिखित भूमिस्वामी विद्याराम के दो भाई थे। खेमराज और द्वारिकाप्रसाद। खेमराज के फौज होने जाने के कारण उसके हिस्से में आई भूमि उसके वारिसानों के नाम तथा विद्याराम के फौत हो जोने के कारण उसके हिस्से में आई भूमि पर अनावेदकगण तथा आवेदकगण के पिता के नाम ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण बराबर हिस्से पर किया गया है । सतरा खानदान के आधार पर ही ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमियों पर बराबर हिस्से पर वारिसान के आधार पर नामांतरण किया गया है । आवेदकगण द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी विद्याराम जिनके द्वारा वसीयत की गई थी, कि मृत्यु दिनांक 04.12.95 को हुई थी। दिनांक 04.12.95 से लेकर वर्ष 1999 तक नामांतरण क्यों नहीं कराया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण करने से पहिले इश्तहार का प्रकाशन किया गया था, उसी समय आपत्ति पेश क्यों नहीं की गई । यह तथ्य संदेस्पद है । जब अभिलिखित भूमिस्वामी विद्याराम लावल्द फौत हुआ तो उसके हिस्से की भूमि पर सर्वप्रथम उसके भाईयों का हब बनता है । चूँकि विद्याराम के फौत होने से पहिले ही अनावेदकगण के पिता खेमराज फौत हो चुके थे । इस प्रकार विद्याराम के मरने के बाद जीवित भाई द्वारिकाप्रसाद तथा मृतक भाई खेजराम के स्थान पर उसके पुत्रों के नाम नामांतरण सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कया गया है । वर्ष 1983 की वसयीत के आधार पर इतने लंबे समय पश्चात नामांतरण की मांग करना अपने आप में संदिग्ध हो जाता है । रे0नि0 1998 पृष्ठ 147 फेकूलाल त्रिवेदी विरूद्ध श्रीमती रमाबाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि बिल–7 वर्ष तक प्रकाश में नहीं लाई गई –बिल संदेहजनक हो जाती है । प्रस्तुत प्रकरण में वर्ष 83 में कराई गई वसीयत के आधार पर वर्ष 96 में नामांतरण की मांग करना अपने आप में संदेह को जन्म देती है । इतने वर्षों तक वसीयत को समने क्यों नहीं लाया गया । आवेदकगण द्वारा जो प्रकरण वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कराने बावत विचारण न्यायालय में पेश किया गया था जो दिनांक 31.08.96 को अदम पैरवी में खारिज हो चुका था और दिनांक 31.08.96 निरस्त हुये। प्रकरण को आवेदकगण द्वारा दिनांक 01.07.2000

पुनः नम्बर पर लेने बावत आवेदन पत्र पेया किया गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदकगण द्वारा वसीयतनामा के आधार पर कराये जा रहे नामांतरण के प्रकरण में स्वयं रूचि नहीं ली गई और चार वर्षों बाद संहिता की धारा 35(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करना विचारण न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत कार्य किया है । अनुविभागीय अधिकारी को, मुरैना को इन सारे पहलुओं को गंभीरता से देखना चाहिये था, उसके बाद ही प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिये था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा न करते हुये वसीयतनामा को आधार मानकर जांच कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करने के लिये विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना न्यायसंगत नहीं है । कलेक्टर, मुरैना ने भी इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनदेखा करते हुये निगरानी निरस्त करने में भूल की है । आवेदकगण जैसा कि उनके द्वारा वसयीतनामा के आधार पर नामांतरण का प्रकरण चलाया जा रहा था, इतने सजग होते तो प्रकरण का निराकरण कभी का हो गया होता । वर्ष 1999 तक लंबित नहीं रहता । आवेदकगण का प्रकरण अदम पैरवी में दिनांक 31.08.96 को ही समाप्त हो चुका था, जिसकी जानकरी आवेदकगण को नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह है कि आवेदकगण को स्वयं वसीयतनामा पर भरोसा नहीं है, वरना उनके द्वारा प्रकरण में होने वाली कार्यवाही में निरंतर उपस्थित होकर भाग लेते रहते । जब ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.08.99 को विवादित भूमि पर वारिसानों के नाम नामांतरण कर दिया गया, तब भूमि को हड़पने के नियत से दिनांक 01.07.2000 को प्रकरण को नम्बर पर लेने बावत आवेदन –पत्र पेश किया गया है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश शून्यवत है और ऐसे शून्यवत आदेश को कलेक्टर, मुरैना द्वारा यथा रखे जाने का आदेश भी शून्यवत हो जाता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2004 तथा कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2004 विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है । अपर आयुक्त ने भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत हड़वासी द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 78 में पारित आदेश दिनांक 30.05.99 को यथावत रखा है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–08–2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत

बेगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर